Australian Government
Department of Home Affairs

डिजिटल पैसेंजर डिक्लेरेशन

ओवरव्यू

हवाई मार्ग से ऑस्ट्रेलिया आने वाले सभी यात्रियों को DPD पूरी करनी होगी। आप अपनी फ्लाइट से सात दिन पहले अपना DPD शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान करने से पहले इसे जमा करना होगा। प्रस्थान से पहले DPD पूरा नहीं करने वाले यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ सकता है।

DPD को भरते समय, आपको:

- ऑस्ट्रेलिया में एक संपर्क फ़ोन नंबर सहित, अपनी संपर्क जानकारी देनी होगी
- अपने वैक्सीनेशन के स्टेटस के संबंध में कानूनी रूप से बाध्यकारी डिक्लेरेशन करना होगा
- पिछले 14 दिनों की अपनी ट्रैवल हिस्टरी के बारे में डिक्लेरेशन करना होगा
- ये डिक्लेरेशन करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया आने पर और जिस राज्य या राज्य-क्षेत्र में आप उतर रहे/रही हैं वहाँ लागू होने वाली क्वारंटाइन व टेस्टिंग की ज़रूरतों और गैर-अनुपालन के लिए लागू जुर्माने से आप अवगत हैं।

ध्यान दें: इससे पहले कि आप अपनी DPD पूरी करें, ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी सभी ट्रैवल ज़रूरतों की जाँच कर लें। यात्रा करने से पहले आपके लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ों की सूची देखने हेतु टीकाकृत यात्री और बिना टीकाकरण वाले यात्री की जानकारी देखें।

Updated as at 04052022 - Hindi

जुर्माना व प्रवर्तन

DPD महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी का अनुरोध करती है। आप इस बात का प्रूफ देने में सक्षम हों कि विमान में सवार होने से पहले सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई थी। ये एक प्रवर्तनीय ज़रुरत है। इस ज़रुरत का पालन करने में विफल व्यक्ति पर 30 पेनल्टी यूनिट्स (आज की तारीख में $6,660 AUD) का नागरिक दंड (जुर्माना) लगाया जा सकता है। इसे बायोसिक्यूरिटी एक्ट 2015 (Biosecurity Act 2015) के सेक्शन 46 में निर्धारित किया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार को झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी देना एक गंभीर अपराध है। यदि दोषी पाया गया, तो अधिकतम दंड 12 महीनों का कारावास है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशों के अनुपालन को लागू करने के लिए राज्य और राज्य-क्षेत्र भी दंड लागू कर सकते हैं। इसमें कोविड-19 टेस्टिंग व सेल्फ-आइसोलेशन या क्वारंटाइन ज़रूरतें शामिल हो सकती हैं। आपके प्रवेश करने के बाद की भी किसी ज़रुरत सहित, यदि आप अनुपालन नहीं करते/करती हैं, तो आप पर कारावास में समय बिताने या बड़े जुर्मानों सहित गंभीर जुर्माने लगाए जा सकते हैं। इन ज़रूरतों में अचानक बदलाव मुमकिन है। और ज़्यादा जानकारी के लिए राज्य और राज्य-क्षेत्र में आगमन की ज़रूरतें देखें।

ऑस्ट्रेलिया में आने वाले वीज़ा धारकों का वीज़ा कैंसल किया जा सकता है और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और देश से निकाला जा सकता है, यदि:

- **वे ऑस्ट्रेलिया की सीमा प्रवेश आवश्यकताओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से टीकाकृत नहीं हैं; या**
- **उन्हें ऑस्ट्रेलिया सरकार की परिभाषानुसार कोविड-19 टीकाकरण के लिए चिकित्सीय अपवाद प्राप्त नहीं है; या**
- **वे *एक्सेम्प्ट कैटेगरी में नहीं* आते/आती हैं या उनके पास व्यक्तिगत ट्रैवल एक्सेम्प्शन नहीं है।**

अपनी डिक्लेरेशन पूरी करें

फ्री मोबाइल ऑस्ट्रेलिया डिजिटल पैसेंजर डिक्लेरेशन ऐप को App Store (Apple) या Google Play store (Android) से डाउनलोड करके इस्तेमाल करें।

अगर आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते/सकती हैं, तो आप DPD ऑनलाइन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी DPD सबमिट कर सकते/सकती हैं।

आपको एक खाता (अकाउंट) खोलना होगा, जो आपको एक ही जगह अपनी मौजूदा व भावी डिक्लेरेशनों को मैनेज करने में मदद करेगा।

अपनी डिक्लेरेशन को शुरू करना

आपको DPD के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है - ये मुफ्त है।

अपनी डिक्लेरेशन को शुरू करने से पहले, नीचे दी गई जानकारी तैयार रखें:

- फ्लाइट नंबर
- मान्य पासपोर्ट
- ट्रैवल हिस्टरी (फ्लाइट से 14 दिन पहले)
- डेस्टिनेशन व क्वारंटाइन व्यवस्था (यदि ज़रूरी हो)
- कोविड-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड या वह स्वीकार्य साक्ष्य कि आपको किन चिकित्सा कारणों से टीका नहीं लगाया जा सकता है।

DPD को पूरा करना हरेक यात्री के लिए ज़रूरी है। 16 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के लिए माता-पिता या अभिभावक को इस डिक्लेरेशन को पूरा करना होगा। 16 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपनी डिक्लेरेशन खुद पूरी करनी होगी।

ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान करने से पहले आपको DPD पूरा करना होगा।

आपका डिजिटल पैसेंजर डिक्लेरेशन रिज़ल्ट

एक पूरी की हुई DPD ऑस्ट्रेलिया में आपके प्रवेश की गारंटी नहीं देती है।

आपके द्वारा DPD को सबमिट कर देने के बाद, आपको एक सम्मरी स्क्रीन दिखाई देगी जिसे (चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में या चाहे प्रिंटेड रूप में) आपको अपनी फ्लाइट में सवार होने से पहले एयरलाइन कर्मचारियों को दिखाना होगा। आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करते समय भी इसे दिखानाहोगा।

जब आप अपनी फ्लाइट के लिए चेक-इन करेंगे/करेंगी तो एयरलाइन कर्मचारी आपके हेल्थ स्टेटस को रीव्यू करेंगे। आपकी DPD आपके हेल्थ स्टेटस को अन्यतर दिखाएगा:

- **पूर्ण**: आपके द्वारा अपनी डिक्लेरेशन में दी गई जानकारी इंगित करती है कि आप बोर्डिंग के लिए कोविड-19 स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करते/करती हैं। आपको फिर भी चेक-इन के समय अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। आपको अपनी फ्लाइट में सवार होने देने का अंतिम निर्णय आपकी एयरलाइन लेगी।
- **अपूर्ण**: आपने अपनी स्वास्थ्य जानकारी सबमिट नहीं की है। डिजिटल पैसेंजर डिक्लेरेशन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी का अनुरोध करती है। बोर्डिंग से पहले आप यह सबूत दिखा पाएँ कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी पूरी कर ली है।
- **चेक-इन के समय कन्फर्मेशन ज़रूरी है**: इसका मतलब है कि शायद आपने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा ज़रूरतों को पूरा नहीं किया होगा। चेक-इन के समय आपको कन्फर्मेशन किया जाना होगा। आपकी एयरलाइन निर्णय लेगी कि आप यात्रा कर सकते/सकती हैं या नहीं। यदि एयरलाइन आपको ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की अनुमति देती है, तो आगमन पर आपको क्वारंटाइन होने की ज़रुरत पड़ सकती है।

अपनी DPD शुरू करने से पहले आपको स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट देखनी चाहिए। इसमें उन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नियमों का विवरण है ऑस्ट्रेलिया आने पर यात्रियों को जिनका पालन करने की ज़रुरत होती है।

सभी यात्रियों को उन सभी राज्यों और राज्य-क्षेत्रों की व्यवस्थाओं की जाँच करनी चाहिए जहाँ की आप यात्रा करेंगे/करेंगी या पारगमन करेंगे/करेंगी। प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई राज्य और राज्य-क्षेत्र में ज़रूरतें अलग होती हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए राज्य और राज्य-क्षेत्र में आगमन की ज़रूरतें देखें।

सपोर्ट

अगर आपको अपना DPD पूरा करने में सहायता चाहिए, तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नदेखें।